[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या 78 /2020- सीमाशुल्क (गै.टै.)

नयी दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त, 2020

सा.का.नि (अ)--------- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 47 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 135/2016- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 2 नवम्बर, 2016, जिसे सा.का.नि 1038 (अ) , दिनांक 2 नवम्बर, 2016 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

2. उक्त अधिसूचना में,

(i) क्रम संख्या (1) के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(ii) प्राधिकृत सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठान"

(ii) उक्त अधिसूचना में दिये गए स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के उद्येश्य से,

(i) एईओ का अभिप्राय प्राधिकृत इकोनोमिक ऑपरेटर से है,

(ii) प्राधिकृत सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठान से अभिप्राय उन सार्वजनिक प्रतिष्ठाननों से है, जिनको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड के अंतर्गत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमाशुल्क निदेशालय द्वारा अनुमोदित किया गया हो।"

3. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. स. 450/81/2016- सीमाशुल्क IV]

आर. आनंद

(आनंद राधाकृष्णन)
उप सचिव (सीमाशुल्क)

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना संख्या 135/2016- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 2 नवम्बर, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि 1038 (अ) , दिनांक 2 नवम्बर, 2016 के तहत प्रकाशित किया गया था।